छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ 14 /अशा.मान्यता/2018 रायपुर दिनांक 02-02-2018

—: मान्यता हेतु निर्देश :—

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1994 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नानुसार मापदण्डों के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं को होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में कार्यालयीन पत्र क./7229/मान्यता/2012—13, रायपुर, दिनांक 27—12—2012 द्वारा निर्देश जारी किया गया था, उक्त निर्देश में मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक संशोधन उपरांत निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. भूमि :—

(1) संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के (शिक्षण समिति के) स्वामित्व का होना चाहिये। यदि स्वामित्व का नहीं है तो किराये की भूमि/भवन होने पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। किरायानामा न्यूनतम 03 वर्ष से कम का न हो, भूमिस्वामी के भूमि स्वामित्व का बी—1 खसरा एवं शाला के भूमि सह भवन का नक्शा संबंधित नगर निगम/नगर पालिका निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित अनिवार्य है। नक्शा में भूमि, भवन, कक्ष का क्षेत्रफल पृथक—पृथक दर्शाया जाना है।

(2) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की (शिक्षण समिति की) स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा।

(3) संस्था को, प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।

(4) संस्था के पास अपने स्वामित्व की (शिक्षण समिति की) शहरी क्षेत्र के लिए कम से कम 20,000 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 30,000 वर्गफीट भूमि होना चाहिए।

(5) यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक है या प्रस्तावित है तो कम से कम 02 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।

(6) यदि शाला राजभोगी शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम 20,000 वर्गफीट में हो और छात्र— छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिये निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये।

(7) कम से कम 1/2 एकड़ खूली भूमि खेल/प्रार्थना सभा के लिये अनिवार्य रूप सें हो।

2. भवन :—

(1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल केवल हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 3000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिये केवल एक संकाय कला या वाणिज्य होने पर 4000 वर्गफीट/कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय होने पर 5000 वर्गफीट/कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तीनों संकाय होने पर 8000 वर्गफीट होना अनिवार्य है। यदि संस्था हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी की कक्षायें चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट होना चाहिये।

(2) पाठ्यसहगामी गतिविधि हेतु हाईस्कूल के लिये 1000 वर्गफीट का हॉल, हायर सेकण्डरी के लिये 2000 वर्गफीट का हॉल होना चाहिये।

(3) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षों का होना अनिवार्य है :—

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक—एक कक्ष अर्थात् — **5 कक्ष**

(ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाएँ — **2 कक्ष**

कुल— 7 कक्ष न्यूनतम

नोट :—1. पूर्व से संचालित हाईस्कूल संस्था को यदि हायर सेकेण्डरी के लिये मान्यता लेना है तो विज्ञान संकाय के लिये तीन कक्ष प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा। इसी प्रकार केवल कला संकाय हेतु +2 कक्ष, कला एवं वाणिज्य सहित हेतु +4 कक्ष, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय सहित हेतु 07 कक्ष का होना आवश्यक है।

2. जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक—एक कक्ष निर्माण कराना होगा।

3. 45 छात्रों तक के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिये एक—एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।

4. एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र।

5. छात्र—छात्राओं की पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है, जहां संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके, हाईस्कूल के लिये साइज न्यूनतम 600 वर्गफीट तथा हायर सेकण्डरी के लिये न्यूनतम साइज 1000 वर्गफीट।

6. संस्थाओं में अध्यापन कक्षों का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 08 वर्गफीट स्थान मिल सके।

7. एक भवन में एक पाली में ही विद्यालय चलाने की अनुमति होगी। पाली का न्यूनतम 06 घंटा विद्यालयीन कार्यावधि होना अनिवार्य है।

EDUCARE INDIA ADVISORY

8. परिवर्तित भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था (नगर निगम/ग्राम पंचायत/नगर पालिका) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
9. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मध्य, आवासीय फ्लैट्स के मध्य, या आवांछित स्थानों पर स्थित विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जावेगी।
10. निर्माणाधीन भवन होने पर संस्था को मान्यता नहीं दी जावेगी।
11. घासभूमि पर निर्मित भवन/विद्यालय मान्य नहीं होगा। विधिवत आबंटन के होने पर ही मान्यता पर विचार किया जावेगा।
12. यदि विद्यालय लीज पर है तो रजिस्टर्ड लीज डीड आवश्यक है।
13. विद्यालय भवन की विडियोग्राफी कराकर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
14. स्थान/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/समिति में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में शाला का पुनः निरीक्षण किया जावेगा तथा निरीक्षण व्यय संस्था को वहन करना होगा।
15. शाला भवन का शिक्षण सत्र के दौरान अन्य गैर शैक्षणिक कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जावेगा।

3. पेयजल व्यवस्था :–

संस्था द्वारा शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है। विद्यालयों में फिल्टर किया हुआ शीतल पेयजल की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्र में ढका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है। पेयजल स्थल पर बैठ कर पानी पीने की व्यवस्था हो।

4. पुस्तकालय :–

1. संस्था के पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कम से कम 03 पुस्तकें प्रति छात्र हो। पुस्तकालय के रख–रखाव के लिये लायब्रेरी अटेन्डेंट हो तथा छात्र–छात्राओं को लाइब्रेरी कक्ष पर पुस्तकें ईश्यू करने की सुविधा उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक को सौंपा जा सकता है।
2. छात्र –छात्रायें, लाइब्रेरी के कक्ष में बैठकर पत्र–पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो।

5. प्रयोगशाला :–

1. हाईस्कूल तक के छात्रों के लिये प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है, जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य करवाया जा सके।
2. हायर सेकण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं कृषि संकाय की पृथक–पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिये जहां मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सकें। कृषि संकाय के प्रायोगिक अध्ययन हेतु न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि अनिवार्यतः उपलब्ध हो। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला/कार्यशाला की व्यवस्था करना होगा।
3. पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित विषयवस्तु के अनुसार प्रयोगशाला में सभी सामग्री उपलब्ध होना चाहिये।
4. हाईस्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब असिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकण्डरी प्रयोगशाला के लिये पृथक–पृथक लेब असिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो। न्यूनतम दो लैब असिस्टेंट राज्य शासन के सेटअप अनुसार हो।

6. खेल का मैदान :–

संस्थाओं में कम से कम दो खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करनी होगी, जैसे–हॉकी, फुटबाल, बालीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि। शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं का इन्डोर गेम्स के लिये भी व्यवस्था करना अनिवार्य है।

7. प्रसाधन :–

संस्था के छात्र–छात्राओं के लिये पृथक–पृथक टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये। स्टाफ के लिये महिला–पुरूष पृथक टायलेट की व्यवस्था हो। जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र–छात्रायें है, वहॉ प्रति 100 छात्र पर एक–एक अतिरिक्त टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसकी साफ–सफाई हेतु सफाई कर्मी सहित समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा। प्रति 10 छात्र/छात्रा के लिए पृथक–पृथक पेशाब घर अनिवार्यतः हो।

8. शैक्षणिक स्टाफ :–

1. हाईस्कूल में प्राचार्य–01 तथा 06 व्याख्याता/शिक्षाकर्मी वर्ग–01, सहायत शिक्षक विज्ञान– 01, लेखापाल/सहायक ग्रेड–दो –01, सहायक ग्रेड– तीन –01, चौकीदार एवं स्वीपर– 04, कुल 14 का स्टाप होना आवश्यक है। पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ एवं अन्य स्टाफ नियुक्ति अनिवार्य है। व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की (शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार) योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है।
2. स्टाफ का पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाईल नंबर तथा सेलरी स्लिप संबंधित शिक्षक का हस्ताक्षरयुक्त विवरण जमा करना होगा।

EDUCARE INDIA ADVISORY

3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य 01 तथा 11 व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग–01 एक ही संकाय के छात्रों को पढ़ाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये। एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 03 संबंधित विषय के व्याख्याता की नियुक्ति होना चाहिये। व्यायाम शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग दो– 01, सहायक ग्रेड तीन– 01, चौकीदार एवं स्वीपर– 06 का स्टाफ होना आवश्यक है, जहां 04 से अधिक सेक्शन है, वहां संबंधित विषय के दो–दो व्याख्याताओं की नियुक्ति होना अनिवार्य है, व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां स्टाफ सूची संलग्न की जाना है।
4. विद्यालय के समस्त शिक्षक प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
5. प्राचार्य प्रशिक्षित एवं 05 वर्ष का उन्हें अध्यापन का अनुभव हो।

9. फर्नीचर व्यवस्था :–

स्टाफ व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिये भी कक्षाओं में फर्नीचर होना चाहिये। यह मेट/कुर्सी अथवा डेस्क/बैंच हो सकते हैं। विद्यार्थियों को जमीन पर कदापि नहीं बिठाया जावे। फर्नीचर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा पाठ्यसामग्री रखने के लिये उपयुक्त सुविधा हो।

10. विद्युत व्यवस्था :–

(अ) जिन स्थानों में बिजली है वहां की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
(ब) विद्युत प्रवाह/व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित व प्रमाणिक हो।
(स) आग से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था अनिवार्यतः हो।

11. अक्षय निधि :–

अक्षयनिधि हेतु **(अ)** ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) **(ब)** शहरी क्षेत्र हेतु रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते मे जमा होना चाहिये।

12. वित्तीय व्यवस्था :–

1. सत्र समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रतिवर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना होगा।
2. संस्था के बचत खाते में न्यूनतम रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जमा रहना चाहिए। तीन माह के वेतन के समतुल्य राशि बचत खाते में शेष दिखाने वाले तिथि के पहले तीन माह का लेन देन विवरण (Statment) भी प्रस्तुत करना होगा। जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके।

13. अंग्रेजी माध्यम :–

1. यदि संस्था हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी संचालित करना चाहती है तो उसे अपनी अंग्रेजी माध्यम की शाला को अलग शाला मानते हुए उसकी मान्यता हेतु पूरी प्रक्रिया नवीन मान्यता के अनुरूप करनी होगी। उसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम की संस्था का संचालन किया जा सकेगा।
2. कक्षा 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया हो मान्य, साथ ही अंग्रेजी विषय हेतु अनिवार्यतः अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया हो।

14. अतिरिक्त संकाय :–

अतिरिक्त संकाय/विषय के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अतिरिक्त संकाय हेतु विभागीय अनुमति, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त संकाय की मान्यता जारी की जावेगी।

15. 1. मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्था को विद्यालय के नाम पट्टिका, प्रवेश आवेदन पत्र व लेटरपेड पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा संस्था का मान्यता कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा। मण्डल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्राचार्य के कक्ष में अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। इसका पालन संस्था को सुनिश्चित करना होगा।
2. पहले मान्यता तत्पश्चात् कक्षायें अर्थात् बिना मान्यतायें के कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकता है।

16. विद्यार्थियों की सुरक्षा :–

1. विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवहन साधनों की गुणवत्ता तथा उससे संबंधित कर्मचारियों की योग्यता/प्रामाणिकता शासन द्वारा तय मापदण्ड के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।
2. प्रतिवर्ष परिवहन साधनों का तकनीकी जॉच तथा परिवहन कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र मान्यता नवीनीकरण के साथ अनिवार्यतः जमा करना होगा।
3. विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगवाकर सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

17. लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना :–

माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका प्रकरण कमांक 41/2016 में दिए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसाओं (बिन्दु कमांक 4.6.3) के अनुरूप सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों/

EDUCARE INDIA ADVISORY

कालेज/एन.सी.सी./एन.एस.एस. युनिट में लिगल लिटरेसी क्लब एवं लिगल एड क्लीनिक की स्थापना अनिवार्यतः की जानी है। भविष्य में किसी भी स्कूल की मान्यता के आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन आवेदन पत्रों के साथ स्कूल का जो प्रोजेक्ट प्लान (योजना प्रारूप) प्रस्तुत किया जाये उसमें लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना किये जाने या कर दिये जाने, के संबंध में स्पष्ट उद्घोषणा संबंधित स्कूल के द्वारा किया जाना होगा।

18. विद्यालय का नामकरण :–

केन्द्र व राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कुछ शब्द विशेष जैसे– "नेशनल" का प्रयोग प्रतिबंधित है। इन शब्दों को प्रयोग विद्यालय के नामकरण हेतु करने पर मान्यता नहीं दिया जावेगा। तथा विद्यालय का नामकरण छात्रों एवं पालकों को भ्रमित करने वाले शब्द जैसे– "इंटरनेशनल", "नवोदय", "एकलव्य", "प्रयास", "केन्द्रीय" नहीं रखा जा सकेगा।

19. विद्यालय संचालन बंद करनाः–

मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम एक प्रमाण पत्र परीक्षा (मण्डल परीक्षा) तक विद्यालय संचालन करना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यार्थियों को बीच कक्षा में विद्यालय बदलना नहीं पड़े। जैसे– यदि संस्था हाईस्कूल तक संचालित है तो 10 वीं की परीक्षा होने के बाद 9वीं में जो विद्यार्थी अध्ययनरत होंगे वे भी 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के बाद। यदि हायर सेकण्डरी तक संचालित है तो 10 वीं व 12वीं की परीक्षा होने के बाद जो विद्यार्थी 9वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत होंगे वे 12वीं तक की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद। यदि मान्यता प्राप्त संस्था अपनी शाला बंद करना चाहती है तो उसे उसकी सूचना मण्डल को देनी होगी। यदि मान्यता प्राप्त संस्था किसी वर्ष अपने छात्र मण्डल परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराती है, तो उसकी सूचना मण्डल को देनी होगी।

20. कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्थाः–

प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 01 कम्प्यूटर के मान से व्यवस्था करना होगा। कम्प्यूटर सीखने हेतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से पी.जी.डी.सी.ए. योग्यताधारी शिक्षक की सेवा ली जा सकती है।

21. शासन की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयनः–

शासन द्वारा विद्यार्थी हितार्थ लागू योजना जैसे– वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यार्थी बीमा सुरक्षा, छात्रवृत्ति आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा शिक्षण सामग्री विक्रयः–

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ली जा रही अन्य शुल्क का युक्तियुक्त विद्यालय में उपलब्ध सुविधा से होना चाहिये। शुल्क का अनुमोदन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में होना अनिवार्य होगा, इस बैठक में नोडल प्राचार्य की उपस्थिति आवश्यक रूप से हो।

23. अशासकीय शालाओं के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया :–

इस हेतु पहले शासन से अनुमति प्राप्त करना होगा। शासन से प्राप्त अनुमति के 30 दिन के भीतर मण्डल में आवेदन करना होगा। मण्डल में निर्धारित निरीक्षण शुल्क जमा करने पर मण्डल आवेदित शाला का निरीक्षण एक समिति द्वारा कराकर निरीक्षण रिपोर्ट मान्यता समिति में रखेगी तथा मान्यता समिति उस पर आवश्यक निर्णय लेगी। बिना मण्डल के अनुमति के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन करने की दशा में बोर्ड संस्था की मान्यता निरस्त कर सकेगी।

24. संस्था का अंतरण :–

अशासकीय विद्यालय द्वारा शासन/मण्डल की स्वीकृति के बिना अन्य संस्था को प्रबंधन का अंतरण नहीं कर सकेगी। प्रबंध अंतरित किये जाने के प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा संस्था का पुनः निरीक्षण एक समिति द्वारा कराये जाने का आदेश दिया जा सकेगा। निरीक्षण शुल्क संस्था को देना होगा। मान्यता समिति की स्वीकृति उपरान्त ही प्रबंध का अन्य संस्था/समिति को अंतरण किया जा सकेगा।

25. निरसन/मान्यता समाप्ति :–

यदि मान्यता प्राप्त संस्था, मण्डल के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन करती है, तो मण्डल स्कूल का मान्यता रद्द कर सकती है।

उपरोक्त निर्देश परीक्षा सत्र 2019–20 से प्रभावशील होगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

EDUCARE INDIA ADVISORY

पृष्ठांकन क्रमांक/ 15 /अशा.मान्यता/2018 रायपुर दिनांक 02/02/18

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
2. **समस्त मान0 विधायक सदस्यगण, मण्डल सदस्यगण, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।**
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय/संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।
6. उपसचिव/पंजीयक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है, कि छात्र/छात्राओं के मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे है। कृपया सुनिश्चित करें, कि उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है। ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

EDUCARE INDIA ADVISORY